

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ, दिनांक 14 जनवरी, 2020

विषय-जनपद मथुरा में कोसीकला के पास स्थित कोकिला वन शनिधाम में परिक्रमा मार्ग का निर्माण, द्वायलेट ब्लाक तथा सोलर प्लान्ट की स्थापना के कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4128/6-1-1/ब.ती.वि.प./ (99)/2019 दिनांक 11 नवम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद मथुरा में कोसीकला के पास स्थित कोकिला वन शनिधाम में परिक्रमा मार्ग का निर्माण, द्वायलेट ब्लाक तथा सोलर प्लान्ट की स्थापना के कार्य कराये जाने हेतु मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए उसके द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष रु0 740.10 लाख (रुपये सात करोड़ चालीस लाख दस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रु0 370.05 लाख (रुपये तीन करोड़ सत्तर लाख पांच हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों/प्राधिकरणों आदि से समस्त आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। प्रस्तुत कार्य की निविदा ई-टेंडरिंग के माध्यम से की जायेगी तथा इस हेतु समय-समय पर निर्गत आदेशों/शासनादेशों में अघीक्षण अभियन्ता निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यसिन्हास दिनांक 22 मार्च, 2019 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 दिनांक 29 जुलाई 2019 में विहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि द्वारा कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था से कराये गये कार्यों के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

आर0 पी0 सिंह

अधीक्षण अभियन्ता

आर0 पी0 सिंह
अधीक्षण अभियन्ता

2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैन्युअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) परियोजना में कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार किये गये आगणन में मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा का होगा। प्रायोजना के प्रस्तावित कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ आदि प्रयुक्त करने के पूर्व अनिवार्य रूप से सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था को प्रश्नगत प्रायोजना कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि वास्तविक भुगतान के अनुसार की जायेगी तथा प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। कार्यदायी संस्था से वास्तविक रूप से भुगतान की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि का आवश्यक प्रमाण-पत्र/विवरण पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्राप्त कर महानिदेशक, पर्यटन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसका परीक्षण वित्त नियन्त्रक पर्यटन निदेशालय द्वारा करते हुए संस्तुति सहित सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए शासन को उपलब्ध करायी जायेगी तभी जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा अधिरोपित लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान अनिवार्य रूप से कर दिया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। प्रायोजना की स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर दी जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं महानिदेशक, पर्यटन का होगा।

(13) उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा/पर्यटन निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा एवं कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियन्ता/अधिरासी अभियन्ता/परियोजना अधीक्षण अभियन्ता प्रबन्धक आदि उत्तरदायी होंगे।

(14) उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था मथुरा-वृन्दावन विभाग प्राधिकरण को कोई सेंटेंज देय नहीं होगा।

(15) उक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय विधि के अन्तर्गत आय-व्ययक में अनुदान रा0-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर प्रयोजन पर व्यय-80-सांमान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-42-उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1. यह शासनदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shaasanaदेश.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-जाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7- 37 /दस-2020 दिनांक 13 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
(ए० पी० सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 21 /2020/3486(1)/41-2019-130(बजट)/2019 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- उपाध्यक्ष, उ०प्र० ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
- 4- उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
- 5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा/लखनऊ।
- 7- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
- 8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
- 10- वित्त (दस-नियंत्रण) अनुभाग-7
- 11- उप निदेशक पर्यटन, आगरा।
- 12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
- 13- गार्ड फाइल।

22/06/2019
आर० पी० सिंह
अधीक्षक अभियन्ता

आज्ञा में
(ए० पी० सिंह)
संयुक्त सचिव।